

प्रमाण साक्ष्य तथा प्रायोगिक साक्ष्य

बिना साक्ष्य के ही गट होने हैं -

- (1) प्रामाणिक साक्ष्य (2) प्रायोगिक साक्ष्य (Circum-
(Substantial Evidence) बिना तथ्य के विद्यमान
के जब कोई साक्षी अपने किसी निजी
ज्ञान के आधार पर कथन करता है या
कोई वस्तु का उद्भावना साक्ष्य के रूप में
पेश करता है तो वह प्रामाणिक साक्ष्य माना
जाता है।

इसका हर प्रकार का साक्ष्य परिष्कारित
साक्ष्य कहा जाता है। यह साक्ष्य की दो
श्रेणियों में विभाजित है। प्रथम
निष्पत्तिक (Conclusive) होता है। इसका वह
मिथ्या है किसी तथ्य की प्रामाणिकता की
अपेक्षा (Presumption) मात्र की जा सके,
जिस साक्ष्य की सहायता से विवादास्पद
तथ्य और साक्ष्य किये गये तथ्यों
का सम्बन्ध प्रायोगिक विधियों के
द्वारा अवश्य-भावी प्रतीत हो,
वह साक्ष्य निष्पत्तिक साक्ष्य की
श्रेणी में आता है।

असि साक्षर से विवाचक तन्त्र से अध्यायिता
 सम्माननीय होनी हो वह दूसरी शक्ति में जाना
 है - सम्माननीयता नहीं किन्तु मन्त्र कर्म
 या अध्यायक मात्रा में है।

प्रत्यक्ष साक्षर कोन जीवित-साक्षर
 दोनों साक्षर होने के नाते एक सामान्य
 ही है दोनों का उद्देश्य एक ही होता
 है। यदि इनमें कोई भेद है तो यह कि
 पहला तो विवाचक तन्त्र से प्रत्यक्ष
 रूप से साक्षर होता है। किन्तु
 दूसरे विशेष जीवित-साक्षर के सूत्र
 के उद्गार इस उद्देश्य की पूर्ति
 करता है।

इसकोनो प्रकार के साक्षरों के
 बीच भी एक साधारण तुलना से सुगमता
 से समझा जा सकता है। जैसे "क"
 के उच्चारण में अक्षर लगे कि उसने "ख"
 या लगी तरह किता उसी ओर पड़ जाती।
 "न" "र" "ल" "व" यह व्यापार देता है कि
 क के उच्चारण में अक्षर के अपने अक्षरों
 से देखा है मल्लिकार्जुन "र" के ओर
 जाता। यही प्रत्यक्ष साक्षर माना
 जाएगा। किन्तु धराधल या यदि कोई
 उपस्थित ही नहीं था तब जीवित-साक्षर
 नाम देता है।